1.78 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी मिली है कैलाशा एंटरटेनमेंट के लिए उत्तराखंड में। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की मैसर्स कैलाशा इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा केदारनाथ आपदा पर बनाए गए धारावाहिक की एवज में ये रुपये शेष थे।

पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश

बढ़ी ठंड ▸ उत्तराखंड के बदरीनाथ और केदारनाथ में तीन से चार फीट बर्फ की चादर

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रहा बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंसी

जेएनएन, नई दिल्ली

दिल्ली और एनसीआर में लगातार दूसरे दिन की बारिश से पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई है। तेज रफ्तार ठंडी हवा शीत लहर जैसा एहसास करा रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जबकि न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता हल्की पड़ने के कारण शुक्रवार को बारिश होने की संभावना नहीं है। शुक्रवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 और 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

पहाड़ों पर हुई खूब बर्फबारी : उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बुधवार से तल्ख मौसम के तेवर गुरुवार को भी नहीं बदले। इस दौरान उत्तराखंड के बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही पहाड़ों में हिमपात हुआ तो मैदानों में रुक-रुक कर बारिश का क्रम जारी है। मसूरी के पास धनोल्टी और नागटिब्बा की पहाड़ियों पर मौसम का पहला हिमपात हुआ है। भारी हिमपात से उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सराज हलके के छतरी में बर्फबारी के बाद बर्फ से लकदक हुई एचआरटीसी की बस व अन्य वाहन। जागरण

वहीं, हिमाचल में चोटियों पर बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश राहत के साथ दिक्कतें लेकर आई है। तापमान में गिरावट से प्रदेश में शीतलहर तेज हो गई है। बर्फबारी के कारण प्रदेश में कई सड़कों पर यातायात बाधित रहा। इस कारण कई पर्यटक व स्थानीय लोग परेशान हुए। किन्नौर जिले के कल्पा व लाहुल-स्पीति के केलंग में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।

इसके अलावा कश्मीर में लगातार तीसरे दिन रुक-रुक कर हुई बर्फबारी और बारिश से जवाहर टनल के आसपास भूस्खलन के बाद बुधवार शाम से बंद हुआ जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गुरुवार को भी बंद रहा। इसके चलते सैकड़ों गाड़ियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसी हुई हैं।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ओलावृष्टि से खेती को नुकसान

दो दिन से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से जहां ठंड अचानक से बढ़ गई है। वहीं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फसलों को भी नुकसान हुआ है। मेरठ क्षेत्र में बुधवार रात झमाझम बारिश के बाद गुरुवार को भी रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहा। देहात क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई। शुक्रवार को भी बारिश के आसार हैं। हालांकि इससे वायु प्रदूषण का प्रकोप भी कम हुआ है। वहीं, बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हैं।

गेहूं, गन्ना और सरसों की फसल प्रभावित

मेरठ क्षेत्र में गत दो दिनों से बारिश हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश और ओलावृष्टि से सरसों की फसल को ज्याद नुकसान हुआ है। गेहूं की बुआई भी प्रभावित हुई है। वहीं, गन्ने की कटाई का काम भी रुक गया है। वहीं, हरियाणा में भी बारिश और ओलावृष्टि के चलते सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है।

नोएडा की कंपनी की 8.82 करोड़ की संपत्तियां जब्त

▸ कुर्क की गई संपत्ति में फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्तियों व गहनों की बिक्री के बाद कंपनी के खातों में जमा राशि आदि शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पोंजी स्कीम घोटाले में नोएडा स्थित मार्केटिंग कंपनी की आठ करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

वेबवर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड की इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था। मामला वर्ष 2017 का है। नोएडा पुलिस ने कंपनी और उसके निदेशकों अनुराग गर्ग, संदेश वर्मा व अन्य के खिलाफ ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा जमाकर्ताओं को धोखा देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। ईडी ने पुलिस की इस कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

जांच एजेंसी के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति में फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्तियों व गहनों की बिक्री के बाद कंपनी के खातों में जमा राशि आदि शामिल हैं। इनका मूल्य 8.82 करोड़ रुपये है।

ईडी ने कहा, 'वेबवर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ऑनलाइन पोर्टल एड्डसबुक डॉट कॉम व वेबवर्क डॉट इन के जरिये लोगों को लाभकारी योजनाओं का झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी की। जांच में पता चला कि कंपनी के उत्तराधिकारी के तौर पर सिटी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, विजया बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और एक्सिस बैंक आदि में कई खाते खोले और बंद किए गए। बहुत कम समय में इस मार्केटिंग कंपनी ने विभिन्न बैंकों में खोले गए अलग-अलग लोगों और कंपनियों के खाते में बड़ी राशि जमा की।'

फाइल

पूर्व में फ्रीज हो चुकी हैं कंपनी की 27.66 करोड़ की संपत्तियां

ईडी की तरफ से कंपनी के खिलाफ की गई यह दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले एजेंसी कंपनी की 27.66 करोड़ रुपये की संपत्तियों को फ्रीज कर चुकी है। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि वह इस मामले में लखनऊ स्थित पीएमएलए अदालत में पिछले ही साल आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। अब मामले की सुनवाई चल रही है।

राष्ट्रपति के रिश्तेदार को परिवार संग बम से उड़ाने की धमकी

जागरण संवाददाता, कानपुर : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर आगमन से पहले उनके रिश्तेदार और नमो सेना इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार को परिवार समेत बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी गुरुवार दोपहर पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से वाट्सएप कॉल के जरिए दी गई। फोन करने वाले ने नमो सेना संगठन को छोड़ने के लिए भी कहा। पीड़ित राजीव ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सर्विलांस व साइबर सेल की मदद से जांच कर रही है। बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 नवंबर को कानपुर पहुंचेंगे।

गुरुवार दोपहर करीब 2.01 बजे राष्ट्रपति के भतीजे पंकज के गूबा गार्डन सिद्धार्थनगर निवासी साले राजीव कुमार के पास पाकिस्तानी नंबर से वाट्सएप कॉल आई।

उन्होंने नंबर पर गौर नहीं किया और कॉल रिसीव कर ली। फोन करने वाले ने उन्हें धमकाया कि नमो सेना छोड़ दे, वरना तुझे और तेरे परिवार को आरडीएक्स से उड़ा देंगे। राजीव ने फोन करने वाले से नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया। घटना से सहमे राजीव ने अपने रिश्तेदारों को जानकारी दी। पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा मांगी। सीओ अजय कुमार ने बताया कि वाट्सएप कॉलर ने उनसे नमो सेना छोड़ने के लिए कहा है। वह कोई जानकार भी हो सकता है। +92 पाकिस्तान का आइएसडी कोड है, लेकिन यह कॉल स्पूफिंग का भी मामला हो सकता है। साइबर सेल व सर्विलांस टीम की मदद से जांच चल रही है।

कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपितों को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भाजपा नेता कृष्णानंद राय की वर्ष 2005 में की गई हत्या के मामले में निचली अदालत से बरी सभी आरोपितों को दिल्ली हाई कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने साथ ही निचली अदालत को मामले से जुड़े दस्तावेज हाई कोर्ट लाने का निर्देश दिया।

कृष्णानंद की पत्नी अलका राय की तरफ से दायर चुनौती याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर को सभी पक्षों को नोटिस जारी कर विधायक मुख्तार अंसारी और छह अन्य लोगों से जवाब मांगा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सांसद अफजल अंसारी अदालत में मौजूद रहे।

अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से दिल्ली की निचली अदालत में स्थानांतरित किया गया था। कृष्णानंद वर्ष 2002 में मोहम्मदाबाद क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। 29 नवंबर 2005 को उनकी छह लोगों के साथ हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी पर हत्या और अपहरण सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

'वृंदावन के कण-कण में प्रेम का संदेश'

जागरण संवाददाता, मथुरा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को मथुरा में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के चैरिटेबल हॉस्पिटल के शारदा ब्लॉक को रोगियों के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि वृंदावन के कण-कण में प्रेम और शांति का संदेश है। जिस तरह भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी लीलाओं के जरिए लोगों को अत्याचारियों से मुक्ति दिलाई थी। ठीक उसी तरह रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का शारदा ब्लॉक लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। नर सेवा ही नारायण सेवा का भाव रखने वाले स्वामी विवेकानंद ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है।

राष्ट्रपति गुरुवार को करीब चार घंटे के अंतराल में यहां विभिन्न कार्यक्रमों में मौजूद रहे। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए बनाए गए शारदा ब्लॉक के लोकार्पण समारोह में राष्ट्रपति बोले, मुझे विश्वास है कि शारदा ब्लॉक के कैंसर वार्ड, कैंसर ऑपरेशन, महिला सर्जिकल वार्ड, नवजात वार्ड से रोगियों की सघन देखभाल हो सकेगी। भक्ति और आध्यात्म में रमे नजर आए राष्ट्रपति बोले, मैं योगीराज श्रीकृष्ण की लीलास्थली आया हूं, लोग यहां आध्यात्मिक और मानसिक सुख-शांति पाने आते हैं। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कहा कि मानव कल्याण का इससे बड़ा कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। सच कहूं तो यही ईश्वर सेवा भी है। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद, बेटी श्वेता कोविंद, बेल्लूर मठ के महासचिव तत्वविदानंद महाराज, संस्थान सचिव स्वामी सुप्रकाशानंद व उप सचिव कृष्णकालीचंद भी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुरुवार को अक्षयपात्र फाउंडेशन में बच्चों को भोजन परोसते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी सविता कोविंद, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एएनआइ

बच्चों को परोसा भोजन : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांकेबिहारी जी मंदिर भी गए। ठाकुर जी का विधिविधान से पूजन किया। उन्होंने निकुंजवन आश्रम में संत विजय कौशल महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद अक्षयपात्र फाउंडेशन में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने परिषदीय स्कूल के बच्चों को अपने हाथ से भोजन परोसा और उनके साथ फोटो खिंचवाए।

केरल की महिला ने आइएस में शामिल अपने दामाद को पहचाना

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : इस्लाम धर्म कबूल करने वाली निमिषा फातिमा की मां बिंदु ने बुधवार को कहा कि उन्होंने अपने दामाद और नातिन की पहचान की है। ये उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने हाल में अफगानिस्तान में आत्मसमर्पण किया है। निमिषा और उसके पति पर तीन साल पहले आइएस में शामिल होने का संदेह है।

बिंदु ने टीवी चैनलों को बताया कि केरल के लापता लोगों, जिनके आइएस में शामिल होने का संदेह है, के मामले की तहकीकात कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने आत्मसमर्पण करने वाले लोगों की कुछ तस्वीरें भेजी हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दामाद पलक्कड़ जिले के ईसा उर्फ बेंसन विन्सेंट और नातिन को पहचान लिया है। बिंदु ने पत्रकारों से कहा, 'मेरी नातिन बुर्का पहनी महिला की गोद में बैठी हुई है। यह महिला मेरी बेटी हो सकती है।' उन्होंने कहा, 'मेरे खयाल से यह महिला मेरी बेटी होगी, जिसने 2016 में आइएस में शामिल होने के लिए अपने पति के साथ घर छोड़ दिया था।' बिंदु ने कहा कि उन्होंने तस्वीरों को अपने दामाद की मां ग्रेसी को भेजा है और उन्होंने भी अपने बेटे को पहचान लिया है। उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले एनआइए ने कुछ तस्वीरें भेजी थीं। उसमें मैंने अपने दामाद को देखा।

झूठ बोलने पर सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने को राजी नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ वैवाहिक विवाद के केस में चार साल से लंबित याचिका की खारिज

▸ पति ने तलाक की डिक्री रद करने के हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

अदालत में की गई गलतबयानी कितनी भारी पड़ती है, इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चार साल से लंबित याचिका को अदालत में बोले गए झूठ के कारण सुनने से इन्कार कर दिया। यह मामला वैवाहिक विवाद का था जिसमें लखनऊ के एक प्रमुख डॉक्टर ने तलाक की डिक्री रद किए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका स्वीकार करते हुए तलाक की डिक्री मंजूर करने का निचली अदालत का 21 फरवरी, 2006 का आदेश रद कर दिया था और फरवरी 1989 को हुई शादी बहाल कर दी थी। इसी आदेश के खिलाफ डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वह महिला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जिससे डॉक्टर ने दूसरी शादी कर ली थी। यह महिला डॉक्टर के अस्पताल की कर्मचारी थी।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन, अनिरुद्ध बोस और वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने डॉक्टर पति और दूसरी पत्नी दोनों की याचिकाएं अदालत में झूठ बोले जाने के कारण खारिज कीं। चार साल से लंबित याचिकाएं खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने झूठ बोला है और ऐसे में यह अदालत अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की इजाजत देने के अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगी।

यह मुकदमा एक जाने-माने डॉक्टर दंपति का था। पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। पति नामीगिरामी डॉक्टर और लखनऊ में एक बड़े निजी अस्पताल के संचालक एवं मेडिकल कॉलेज में फार्मोकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। दोनों की शादी 15 फरवरी, 1989 को कानपुर में हुई थी। पत्नी उस वक्त सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी, पति शादी के वक्त एमबीबीएस एमडी थे और अपनी निजी प्रैक्टिस करते थे। बाद में उन्होंने लखनऊ में एक नर्सिंग होम शुरू किया जो आज एक बड़ा अस्पताल है। करीब 13 साल बाद 26 अक्टूबर, 2002 को पति ने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए पारिवारिक अदालत में तलाक का मुकदमा दाखिल किया। इस बीच दंपति के तीन संतानें हो चुकी थीं। तलाक मांगते हुए पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी उसके साथ मारपीट और बुरा व्यवहार करती है। पारिवारिक अदालत ने 21 फरवरी, 2006 को पति की अर्जी मंजूर करते हुए तलाक की डिक्री पारित कर दी थी। पत्नी ने तलाक की डिक्री को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने छह नवंबर, 2015 को पत्नी की याचिका स्वीकार कर पारिवारिक अदालत का तलाक देने का फैसला रद कर दिया और शादी बहाल कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट फाइल

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने एक अर्जी दाखिल कर पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। पति ने आरोपों को गलत बताते हुए हलफनामा दाखिल कर दूसरी शादी से इन्कार किया। हलफनामा देखने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि मुकदमा लंबित रहने तक दोनों पक्ष शादी नही कर सकते। बाद में डॉक्टर पति ने हाई कोर्ट में दूसरी शादी का सार्टिफिकेट पेश किया। हाई कोर्ट में दिए गए ये विरोधाभासी बयान और हलफनामा ही सुप्रीम कोर्ट में पति की याचिका पर सुनवाई की बाधा बना। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की गलतबयानी पर सख्त रुख अपनाते हुए पति और दूसरी पत्नी की याचिका पर विचार करने से मना करते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं। इसका परिणाम यह है कि 1989 में हुई पहली शादी बहाल है। पहली पत्नी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह तथ्य रखा गया था कि पति की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया था कि दूसरी शादी नहीं की है और हाई कोर्ट ने इस शपथपत्र को देखने के बाद शादी करने पर रोक लगा दी थी, ऐसे में वह दूसरी शादी का आधार लेकर हाई कोर्ट के फैसले का विरोध कैसे कर सकते हैं? पहली पत्नी का आरोप था कि अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मचारी से उनके पति के संबंध थे। इसका विरोध करने पर ही उनके खिलाफ क्रूरता के झूठे आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल किया गया था।

असम के पूर्व एनआरसी संयोजक हजेला पर मुकदमा

▸ एपीडब्ल्यू ने सीबीआइ की एसीबी में दर्ज कराई रिपोर्ट, सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

गुवाहाटी, प्रेट्र: असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) ने सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) में एनआरसी के पूर्व राज्य संयोजक प्रतीक हजेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन पर राज्य में एनआरसी प्रक्रिया के दौरान सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है।

एपीडब्ल्यू ने ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रक्रिया शुरू करने के लिए मूल याचिका दाखिल की थी। एसीबी में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में एपीडब्ल्यू ने एनआरसी के राज्य संयोजक हजेला व उनके करीबियों के खिलाफ भ्रष्टाचार या सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। एपीडब्ल्यू के सदस्य राजीव डेका की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एनआरसी प्रक्रिया के लिए राज्य संयोजक के माध्यम से धन उपलब्ध कराया था। रिपोर्ट के अनुसार, 'जहां तक हमारी जानकारी है करीब 1,600 करोड़ रुपये अब तक जारी हो चुके हैं। हम आपसे इस पूरी प्रक्रिया और इसके अलग-अलग मदों में हुए खर्च की जांच का आग्रह करते हैं।' मीडिया को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट की प्रति में दावा किया गया है, 'हजेला ने अपने सलाहकार के तौर पर कई पूर्व सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया था। उन्हें अच्छा वेतन के साथ-साथ नई गाड़ी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन सलाहकारों ने क्या काम किया। न ही खर्च का सीएजी ने ऑडिट किया है।'

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि एनआरसी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त किया गया। उन्हें अब तक एक रुपया भी नहीं दिया गया, जबकि रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि शिक्षकों को बड़ी राशि का भुगतान किया गया है। एनआरसी के लिए 45,500 रुपये की दर से हजारों लैपटॉप खरीदे गए, जबकि ये बाजार में 22,500 रुपये की दर से उपलब्ध हैं। इस प्रकार की और भी कई अन्य अनियमितताएं हैं, जिनकी जांच जरूरी है।

बिलासपुर व नागपुर में रेलवे दफ्तरों में सीबीआइ की छापेमारी

नईदुनिया, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर सेंट्रल इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (सीबीआइ) की टीम ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर व नागपुर स्थित वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक (सीनियर डीओपी) कार्यालय में छापेमारी की। सीबीआइ टीम ने भर्ती घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। दोनों स्थानों पर एक ही समय पर कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार रेलवे के सतर्कता विभाग ने लोको निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा के दौरान जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसे लेकर शुरुआत से ही गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी। विभागीय कर्मचारियों ने गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर रेलवे के आला अधिकारियों के साथ ही विजिलेंस विभाग से भी शिकायत दर्ज कराई थी। विभागीय स्तर पर जब कुछ नहीं हुआ तब पुलिस में भी इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी इस मामले में जांच पड़ताल करना उचित नहीं समझा। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सघन जांच करने के लिए सीबीआइ को निर्देशित करने की गुहार कर्मचारियों ने लगाई थी।

आनंद भवन के गृहकर की माफी को लेकर फंसा पेच

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

प्रयागराज के आनंद भवन के गृहकर में छूट को लेकर पेच फंस गया है। नगर निगम ने जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड (ट्रस्ट) के अधीन आने वाले आनंद भवन, संग्रहालय और तारामंडल पर ब्याज समेत 4.36 करोड़ रुपये बकाया गृहकर का नोटिस दिया है। इसके जवाब में गृहकर माफ करने को लेकर ट्रस्ट ने नगर निगम को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उससे यह पुष्टि नहीं हो रही है कि आनंद भवन चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट होने की स्थिति में ही आनंद भवन का गृहकर माफ हो सकता है। ऐसे में नगर निगम दस्तावेजों की दोबारा जांच कर रहा है।

नगर निगम की ओर से बकाया गृहकर का नोटिस दिए जाने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी से दोबारा मुलाकात की और उन्हें ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेजों की प्रतिलिपि सौंपी। ट्रस्ट कब बनाया गया? ट्रस्ट की कार्यशैली क्या है? पदाधिकारियों की जानकारी दस्तावेज में है, लेकिन आनंद भवन के चैरिटेबल ट्रस्ट होने के स्पष्ट कागजात नहीं हैं। संस्था कैसे चैरिटी कर रही है, इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र का कहना है कि ट्रस्ट की ओर से दोबारा दिए गए दस्तावेज की भी गहन जांच की जा रही है। इसकी संपूर्ण रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने पर उसका अध्ययन करने के बाद निगम की ओर से आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि सिर्फ ट्रस्ट होने भर से गृहकर माफ करने का कोई प्राविधान नहीं है।

> ट्रस्ट द्वारा अभी तक जो दस्तावेज दिए गए हैं, उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि आनंद भवन चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट होने पर गृहकर माफ हो सकता है। वैसे ट्रस्ट 600 रुपये वार्षिक गृहकर जमा कर रहा है।
>
> **-अभिलाषा गुप्ता नंदी, महापौर, प्रयागराज**

परंपरा

नहीं चलेगी चीन की, तीन दिवसीय तिब्बती धार्मिक सम्मेलन के दूसरे दिन 800 साल पुरानी तिब्बती परंपराओं का ही निर्वहन किए जाने पर चर्चा

दलाईलामा ही चुनेंगे अपना उत्तराधिकारी

जागरण संवाददाता, धर्मशाला

15वें दलाईलामा के चयन के लिए धर्मशाला में प्रस्ताव पारित कर बौद्ध लामाओं ने चीन सरकार के दलाईलामा के पुनर्जन्म पर अधिकार के दावे को खारिज कर दिया है। अब दलाईलामा ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। तय किया गया कि इस मामले में चीन की नहीं चलेगी और 800 साल पुरानी तिब्बती परंपराओं का ही निर्वहन किया जाएगा।

इस बाबत धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार के धर्म एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय तिब्बती धार्मिक सम्मेलन के दूसरे दिन भी चर्चा हुई। शुक्रवार को अंतिम दिन आयोजन में दलाईलामा भाग लेंगे और उपस्थित बौद्ध लामाओं को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इसी साल अक्टूबर में मैक्लोडगंज में तिब्बती समुदाय का विशेष अधिवेशन हुआ था और इसमें निर्णय लिया था कि दलाईलामा ही उत्तराधिकारी चुनें और इस मामले में चीन का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा। वर्ष 1969 के बाद से ही दलाईलामा के पुनर्जन्म की चर्चाएं शुरू हुई थीं। इस मामले में दलाईलामा का भी हमेशा यही रुख रहा है कि यह तिब्बती समुदाय का ही मामला है। यदि चीन सरकार अपना दलाईलामा घोषित करती है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

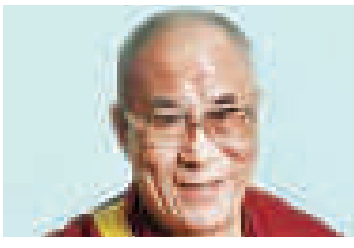

दलाई लामा। फाइल

यह है परंपरा: हर अगले अवतार को दलाईलामा ही खुद तय करते आए हैं। हर दलाईलामा मौत से पहले ऐसे संकेत वरिष्ठ लामाओं को दे जाते हैं, जिनसे उनके अगले अवतार की पहचान आसानी से की जा सकती है। मौजूदा समय में यह परंपरा 14वें दलाईलामा तक पहुंची है। वर्तमान दलाईलामा ने कुछ साल पहले यह कहा था कि इस विषय में वे लिखित निर्देश छोड़कर जाएंगे।

क्या है दलाईलामा : दलाईलामा मंगोल भाषा का शब्द है और इसका सामान्य अर्थ है ज्ञान का महासागर। दलाईलामा कोई नाम नहीं, बल्कि यह दलाईलामा के अवतार के रूप में जन्म लेने वाले को मिलने वाली एक पहचान है। दलाईलामा की पदवी सबसे पहले तिब्बत के तीसरे सबसे सर्वोच्च धर्मगुरु सोनम ज्ञाछो को मिली थी।

2011 में लिया था बड़ा फैसला : वर्ष 2011 में मौजूदा दलाईलामा ने बड़ी परंपरा को तोड़ दिया था। पहले दलाईलामा ही तिब्बत के सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख होते थे। यानी राजनीति से धर्म तक सभी निर्णय दलाईलामा ही लेते थे, लेकिन 29 मई, 2011 को उन्होंने राजनीतिक अधिकार एक प्रक्रिया के तहत निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख को सौंप दिए थे।

> तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति चीन की शत्रुता हमें स्वीकार नहीं है। इसी तरह, हम पुनर्जन्म प्रक्रिया में चीन के हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं। यह तिब्बती समुदाय व दलाईलामा को ही तय करना है कि उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा।
>
> **-डॉ. लोबसांग सांग्ये, अध्यक्ष केंद्रीय तिब्बतियन प्रशासन**

मप्र में छात्राओं को डंडों से पीटा, 100 उठक-बैठक लगवाईं, आठ भर्ती

नईदुनिया, टीकमगढ़

मध्य प्रदेश के मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र के गोर गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में होमवर्क नहीं करने पर छात्राओं से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसमें 8 छात्राओं को अतिथि शिक्षिका ने डंडों से पीटा और 100 से ज्यादा उठक-बैठक लगवाई। मारपीट के कारण छात्राओं की हालात इतनी बिगड़ गई कि उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। भर्ती छात्राओं ने अधीक्षिका पर छुआछूत का आरोप भी लगाया है। इस बीच अतिथि शिक्षिका को हटा दिया गया है।

जानकारी के अनुसार गोर गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में पदस्थ अतिथि शिक्षिका मोना सोनी ने कक्षा सात की छात्राओं को एप्लीकेशन याद करने के लिए कहा था। बुधवार को देर शाम शिक्षिका ने छात्राओं से पूछना शुरू किया तो 8 छात्राएं नहीं बता सकीं। छात्राओं का आरोप है कि इसी बात को लेकर शिक्षिका ने पहले तो छात्राओं को डंडे से जमकर पीटा और 100 से ज्यादा उठक-बैठक लगवाईं। गुरवार को जब मामला खुला तो छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती छात्राओं में विनीता चढ़ार, श्री यादव, मोना घोष, शिवानी घोष, अंजना रजक, मुस्कान यादव, शिवानी अहिरवार और गीता चढ़ार हैं। अधीक्षिका उपासना दुबे ने बताया कि छात्राएं जब स्कूल के लिए छात्रावास से निकलने लगी, तब छात्राएं ठीक से चल नहीं पा रहीं थीं। मारपीट की जानकारी लगते ही तत्काल अतिथि शिक्षिका मोना सोनी को हटा दिया गया है।

> शिक्षक और छात्राओं के बीच पढ़ाई-लिखाई का मामला है। इसमें अतिथि शिक्षिका ने अतिउत्साह में आकर छात्राओं को दंड दे दिया, लेकिन यह कानूनी रूप से ठीक नहीं है। इस बात को लेकर डीपीसी के माध्यम से वार्डन और सहायक वार्डन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। जवाब संतोषजनक न होने या न देने की स्थिति में संबंधितों के विरद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
>
> **- सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर टीकमगढ़**

शिवसेना प्रमुख के खिलाफ शिकायत

जासं, वाराणसी : गुरुवार को अदालत में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तथा वरिष्ठ नेता संजय राउत के खिलाफ प्रार्थना पत्र (परिवाद पत्र) दायर किया गया। कमलेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से दाखिल आवेदन पर एसीजेएम (षष्ठम) की अदालत ने सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है। आरोप है कि उद्धव ने हिंदुओं के साथ छल कर वोट लिया और फिर भगवा आतंकवाद कहने वालों के साथ मिलकर सरकार बना ली। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

जनमत
मुद्दा

**क्या मूल अधिकारों की रक्षा जितना ही कर